'अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 व 26 को प्रगति रिपोर्ट दें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऊर्जा विभाग के एमओयू की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

- **मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में आये हर निवेशक को निवेश करने में किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिये। यदि ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जायेगी।**
- **अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, आलोक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ऊर्जा विभाग द्वारा किये गये एमओयू की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी।**

जयपुर, 15 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में, राइजिंग राजस्थान के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं, जिससे राज्य में ऊर्जा सुदृढ़ीकरण को गति मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए हुए इन विभिन्न एमओयू को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आए प्रत्येक निवेशक को राज्य में निवेश करने के लिए किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यदि ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो इसके लिए संबंधित अधिकारी की जबावदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए प्रत्येक एमओयू की समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की जाए, जिससे राज्य में विद्युत सुदृढ़ीकरण के काम में तेजी आ सके। साथ ही, मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 व 26 तारीख को इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इन निवेशों के माध्यम से राज्य की राजस्व आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें।

शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रोजेक्ट, आरई पार्क, हाइब्रिड प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन, सीएनजी, विंड प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट सहित विभिन्न सेक्टर्स में एमओयू हुए हैं। उन्होंने इन सेक्टर्स में हुए प्रत्येक एमओयू के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे सभी निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें तथा आमजन को इनका लाभ मिले।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अठावाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रवेश वर्मा, नरेश बिधूड़ी ने पर्चा भरा

नयी दिल्ली, 15 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और विजेंद्र गुप्ता सहित पार्टी के 13 उम्मीदवारों ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन पत्र दाखिल किये।

वर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और नयी दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद थीं। वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। इससे पहले वर्मा ने गौरी शंकर मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर सहित कई मंदिरों में पूजा-अर्चना भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वी केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं और भाजपा आठ फरवरी को सरकार बनायेगी। वहीं, बिधूड़ी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। बिधूड़ी ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, यहां कोई लड़ाई नहीं है। यहां सत्ता विरोधी लहर है और लोगों ने आतिशी को विदाई दे दी है।

- **भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी व सांसद बांसुरी स्वराज नामांकन के समय मौजूद थे।**

'मेरी लड़ाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा, आरएसएस तथा उस तरीके के खिलाफ है, जिस तरीके से सरकार के सभी अंगों पर भाजपा और आरएसएस द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। भाजपा, राहुल की इस टिप्पणी पर फूली नहीं समा रही है ताकि राहुल गांधी को राष्ट्र-विरोधी और देशद्रोही के रूप में चित्रित कर रही है।

यह बहस टीवी चैनलों पर बड़ा रूप ले सकती है तथा भाजपा के राजनेता राहुल गांधी को पटखनी देने की कोशिश कर सकते हैं।

ट्रेनी एसआई के वेतन रोकने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश

आवेदन में बताया गया है कि एसआई भर्तियों को 26,500 रुपए मासिक का भुगतान किया जा रहा है

- **आवेदन में कहा गया है कि लोक प्रशासन में "नो-वर्क, नो-पे" का नियम स्थापित है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को निलंबन पर या किसी भी प्रशासनिक आदेश या किसी अन्य कारणवश ड्यूटी से वंचित रखा जाये तो उसे वेतन नहीं मिलना चाहिये।**

जयपुर, 15 जनवरी। एसआई भर्ती-2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को फील्ड से वापस बुलाने के बाद, अब मामले के याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत की ओर से पूर्व में दिए आदेश को स्पष्ट करते हुए उनका वेतन रोकने की गुहार की है। याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र पर अदालत 22 जनवरी को सुनवाई करेगी।

इस मामले में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने अदालत को कहा है कि हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद डी.जी. ने 10 जनवरी को आदेश जारी किये थे, जिनके तहत एस.आई. और प्लाटून कमांडरों की ट्रेनिंग रोक दी गई थी और आदेश दिये गये थे कि वे अपने प्लाटून के हैड क्वार्टर या जिला हैड क्वार्टर में स्थित रहें और ट्रेनिंग न करें। आवेदन में कहा गया है कि अदालत ने एस.आई. की ट्रेनिंग पर तो रोक लगाई है, पर वेतन भत्ते पर रोक नहीं लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि लोक प्रशासन में "नो-वर्क, नो-पे" (काम नहीं तो वेतन नहीं) का नियम स्थापित है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को निलंबन पर या किसी भी प्रशासनिक आदेश या किसी अन्य कारणवश ड्यूटी से वंचित रखा जाये तो उसे वेतन नहीं मिलना चाहिये।

आवेदन में बताया गया है कि एस.आई. भर्तियों को 26,500 रुपए मासिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में गुहार की गई है कि अदालत की ओर से पूर्व में दिए आदेश को स्पष्ट किया जाए कि यदि इन अधिकारियों को किसी भी तरह का वेतन या मानदेय दिया गया तो उसे अदालती आदेश की अवमानना माना जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत सुनवाई पर हाईकोर्ट को अवगत कराया था कि फिलहाल मामले में कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अभी भर्ती को रद्द करने या नहीं करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि भर्ती रद्द करने को लेकर दी गई राय को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं, अदालत ने केन्द्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

24, अकबर रोड, से कांग्रेस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्तमान कार्यालय, 24 अकबर रोड को खाली नहीं करेगी। कांग्रेस (आई) बनने के बाद, 1978 से ही यह भवन पार्टी का मुख्यालय रहा है। अब इसे पार्टी के किसी प्रकोष्ठ का कार्यालय बना दिया जायेगा।

एआईसीसी के इस नये मुख्यालय में कई सालों का विलम्ब हो गया, क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस के सत्ता से हट जाने के बाद से ही, पार्टी के पास "पैसे की कमी" हो गई थी।

भाजपा ने भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नये पार्टी मुख्यालय में शिफ्ट होने के बाद भी 11, अशोक पर स्थित अपना पुराना पार्टी मुख्यालय खाली नहीं किया है।

कांग्रेस के पुराने तथा नये नेता इस बात पर एकमत हैं कि पार्टी के मुख्यालय के लिये बड़ी जगह तथा आधुनिक सुविधाएं इस समय का आवश्यकता हैं। लेकिन 24, अकबर रोड के पते से जुड़ा हुआ खुला इतिहास और भावनात्मक जुड़ाव तो सदैव बना रहेगा।

अकबर रोड के इस बँगले में कभी सर आर. मैक्सवैल रहा करते थे, जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। इस भवन में 1961 में आंग सान सू की भी रही हैं, जो तब किशोरी थीं, उनकी माँ भारत में म्यांमार की राजदूत नियुक्त हुई थीं।

लेकिन यह भवन कांग्रेस का मुख्य ठिकाना रहा है।

यह केवल पार्टी का मुख्यालय ही नहीं, इससे अधिक भी बहुत कुछ रहा है। इसके परिसर के विस्तृत लॉन सात कांग्रेस अध्यक्षों के कार्यकालों के साथी रहे हैं।

महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 5.15 करोड़ पहुँची

प्रयागराज, 15 जनवरी। महाकुंभ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।

राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 5.15 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी जानकारी गूगल पर मुहैया कराई गई है। आम लोगों की सुविधा के लिए कई स्पेशल बसें भी चलाई गई हैं।

- **हाड़ कंपाने वाली सर्दी के बीच तीसरे दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य था**
- **महाकुंभ के लिये संगम के तट पर 41 घाट तैयार किये गये हैं, जिनमें से 10 घाट पक्के और 31 अस्थायी हैं।**

पौष पूर्णिमा पर आरंभ हुआ महाकुंभ 144 वर्ष बाद आने वाला महापर्व है। महाकुंभ के लिए संगम के तट पर 41 घाट तैयार किए गए हैं, जिनमें 10 घाट पक्के हैं और बाकी 31 अस्थायी हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। भक्त भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने-कोने से पधार रहे हैं।

हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहित दर्जनों अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिका में कहा गया कि घटना के समय याचिकाकर्ता पुलिस अभिरक्षा में था। ऐसे में वह लोगों को कैसे उकसा सकता है। इसके अलावा, प्रकरण में 18 आरोपियों की टोंक के सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है, जबकि हाईकोर्ट ने भी करीब 40 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर करीब दो दर्जन केस हैं। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसके खिलाफ दर्ज 11 मामले तय हो चुके हैं और अन्य लंबित मामले प्रदर्शन को लेकर हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने मामले में केस डायरी तलब करते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है। गौरतलब है कि गत 13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम से मारपीट की थी। नरेश मीणा को हिरासत में लेने के दौरान उसके समर्थकों ने प्रदर्शन और आगजनी की थी। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

सीएजी रिपोर्ट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिर भी, जनभावना को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए मतदाताओं को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास दिलाने पर निर्भर करते हैं, विशेषरूप से इस समय, जब चुनाव सिर पर हैं।

आप का गवरनैंस मॉडल और कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें मुफ्त पानी और बिजली शामिल है, के कारण पार्टी को बहुत समर्थन मिला है। लेकिन, चुनौतियाँ फिर भी हैं। आप के ऊपर "शीश महल" और शराब घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिससे पार्टी की छवि को धक्का लगा है। साथ ही, दो कार्यकाल सत्ता में रहने के बाद प्रशासन विरोधी भावना भी है।

जहाँ तक भाजपा का सवाल है, पार्टी ने गत छः विधानसभा चुनावों में अपना वोट शेयर एक समान रखा है, 30 प्रतिशत के ऊपर। बूथ स्तर पर तथा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुनाव अभियान में सक्रियता तथा आप के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों पर फोकस, भाजपा की रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं।

दूसरी तरफ, स्थिर वोट शेयर के बावजूद 27 सालों तक भाजपा दिल्ली में सत्ता से दूर रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रमुख व्यक्ति का अभाव तथा आप की लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं का जवाब देना भाजपा के लिए मुख्य बाधाएं हैं।

कांग्रेस के लिए, पार्टी की ऐतिहासिक विरासत तथा स्वर्गीय शीला दीक्षित के काल में पार्टी की गवर्नैन्स को उसकी ताकत के रूप में देखा जाता है।

लेकिन वास्तविकता यह है कि पार्टी के वोट शेयर में कमी आई है, खासकर आप के उदय के बाद और वर्तमान चुनावों में पार्टी के पास कोई करिश्माई नेता भी नहीं है। इसका संगठनात्मक ढांचा साल दर साल कमज़ोर हुआ है, इसके कई नेता भाजपा और आप में चले गए हैं।

मनीष सिसोदिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोग सो रहे थे या उनके साथ पार्टी कर रहे थे? भाजपा वाले कहां थे?

सत्येंद्र जैन ने नामांकन से पहले सांसद संजय सिंह और पूर्व सांसद डॉ. सुशील गुप्ता के साथ रोड शो किया।

पंजाब सरकार के डल्लेवाल के स्वास्थ्य सुधार के दावे पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 50 दिन से अनशन कर रहे व्यक्ति के स्वास्थ्य मापदंड में कैसे सुधार हुआ

- **कोर्ट ने किसान नेता की स्वास्थ्य रिपोर्ट का पूरा सैट मांगा। पंजाब के मुख्य सचिव को जाँच रिपोर्ट कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने के निर्देश दिये।**

नयी दिल्ली, 15 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने करीब 50 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य मापदंडों में 'सुधार' के पंजाब सरकार के दावे पर बुधवार को नाराजगी जताई और एम्स से राय लेने के लिए उनकी (डल्लेवाल) स्वास्थ्य रिपोर्ट की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार के दावे पर आश्चर्य जताया कि करीब 50 दिनों से अनशन कर रहे व्यक्ति के स्वास्थ्य मापदंडों में कैसे सुधार हुआ।

पीठ ने पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर वहां (धरना स्थल पर) मौजूद है, हम जानना चाहते हैं कि मापदंडों (स्वास्थ्य) में कैसे सुधार हो रहा है।

पीठ की ओर से यह कहने पर कि 'वह (डल्लेवाल) 49 दिनों से अनशन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य मापदंडों में कैसे सुधार हो रहा है', सिब्बल ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी मापदंड स्थिर हैं और उनमें सुधार नहीं हो रहा है। पीठ ने उनसे कहा, पिछली बार जब आपने हमें चार्ट दिया था तो आपका दावा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, पीठ को बताया गया कि पंजाब सरकार ने डल्लेवाल की व्यापक चिकित्सा जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। पीठ ने सिब्बल से आगे पूछा, तो, आपके अनुसार, 24 दिसंबर, 2024 को प्लेटलेट्स (जो 2,22,000 थे), अब सुधर कर 2,54,000 हो गए हैं।

पीठ ने किसान नेता की स्वास्थ्य रिपोर्ट का पूरा सैट मांगा। पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को डल्लेवाल की जांच रिपोर्ट शीर्ष अदालत की रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का निर्देश दिया।

पीठ ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे मेडिकल बोर्ड से डल्लेवाल की जांच रिपोर्ट पर राय लेने के लिए एम्स निदेशक को रिपोर्ट भेजें।

शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में तीन तारीखों पर लिए गए डल्लेवाल के खून के नमूनों के आधार पर जांच के तुलनात्मक चार्ट का हवाला दिया।

पीठ ने अपने आदेश में मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों का पूरा सेट सौंपने ताकि, एम्स (दिल्ली) को मेडिकल बोर्ड से डल्लेवाल की चिकित्सा/स्वास्थ्य स्थिति पर राय लेने के लिए कहा जा सके।

जैसलमेर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पक्षियों के विसरा को जांच के लिए भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित निषाद लैब भेजा गया था। बुधवार को आई रिपोर्ट में मौत का कारण बर्ड फ्लू बताया गया है।

मायावती के खिलाफ 15 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई बंद

- **सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी खजाने से चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियाँ बनवाने की जनहित याचिका का निपटारा किया।**

नयी दिल्ली, 15 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। पन्द्रह साल पहले दायर इस याचिका को पुराना मामला मानते हुए सुनवाई समाप्त कर दी गई। वकील रविकांत ने 2009 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के कारण बहुजन समाज पार्टी से वह धन वसूला जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि जनता के पैसे से पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां पार्क में बनवाना गलत है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बसपा का चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश दे।

उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने 2007 से 2012 तक अपने शासनकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में दो बड़े पार्कों का निर्माण करवाया था। पार्कों में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम, पार्टी के चुनावी चिन्ह हाथी और खुद की कई मूर्तियां स्थापित की गई थीं। ये मूर्तियां पत्थर और कांसे से बनाई गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इन परियोजनाओं में करीब उस समय करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इस कार्य के लिए मायावती अपने विरोधियों के निशाने पर भी रहीं। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सायबर अपराध की जनहित याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा

- **सुप्रीम कोर्ट ने सायबर अपराध को गंभीर समस्या माना, जिससे लोगों को भारी वित्तीय नुकसान और परेशानी हो रही है।**

नयी दिल्ली, 15 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते सायबर अपराधों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस को लागू करने के लिए ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को निर्देश देने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि सायबर अपराध बड़ा मुद्दा है। बढ़ते सायबर अपराधों को लेकर याचिका बेंगलुरु निवासी गौरीशंकर एस ने दाखिल की है। याचिका में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और अनचाहे कॉल की समस्या का जिक्र किया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम समझते हैं कि समस्या है, केंद्र को जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटरों को सीएनएपी (कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस) को लागू करने के निर्देश देने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में भारत में सायबर अपराध धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे और नागरिकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों जैसे आरबीआई, वाणिज्यिक बैंकों आदि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को बताया गया है।कहा गया है कि भारत में सायबर अपराध खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी वित्तीय नुकसान और परेशानी हो रही है।

सात अमेरिकी कंपनियों पर चीन ने प्रतिबंध लगाया

चीन ने यह कदम ताइवान क्षेत्र में हथियार बेचने के कारण उठाया है

- **इन कंपनियों पर चीन से संबंधित आयात व निर्यात गतिविधियों में शामिल होने तथा नया निवेश करने पर रोक रहेगी। इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी चीन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।**

बीजिंग, 15 जनवरी। चीन के ताइवान क्षेत्र को हथियार बेचने के लिए सात अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय इकाई सूची में डालकर इन कंपनियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अविश्वसनीय इकाई सूची कार्य तंत्र की ओर से कानूनों और विनियमों के अनुसार लिया गया है तथा साथ ही, इन अमेरिकी कंपनियों पर कुछ प्रतिबंधक उपायों का भी खुलासा किया गया है, जिन्हें लागू किया जाएगा।

प्रतिबंधित कंपनियां इंटर-कोस्टल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम स्टडीज एंड सिमुलेशन, आयरनमाउंटेन सॉल्यूशंस, एप्लाइड टेक्नोलॉजीज ग्रुप, एक्सएंट, एंडुरिल इंडस्ट्रीज और मैरीटाइम टैक्टिकल सिस्टम हैं।

मंत्रालय के अनुसार, इन कंपनियों को चीन से संबंधित आयात या निर्यात गतिविधियों में शामिल होने और चीन के भीतर नए निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को चीन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और चीन में उनके मौजूदा कार्य परमिट तथा निवास अवधि को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, इन व्यक्तियों को कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा।

सूची में सात कंपनियों को शामिल करने के बारे में मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में, मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका हाल ही में चीन के ताइवान क्षेत्र में लगातार हथियारों की बिक्री में शामिल रहा है, जो एक-चीन सिद्धांत को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है और हथियारों की बिक्री ने अंतरराष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया है, जिससे ताइवान क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता पर खतरा पैदा हुआ है।

'गांधी का बयान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिष्ठा हादशा, भारत की वास्तविक आज़ादी के दिन के रूप में मनाना चाहिए। इस मंदिर को सदियों से कई हमले झेलने पड़े थे।

भागवत ने कहा कि भारत को अंग्रेजों से राजनैतिक स्वतंत्रता 15 अगस्त, 1947 को मिली तथा इसके बाद, एक विशिष्ट विज़न, जो देश के "आत्म गौरव" की चेतना से प्रवाहित होता है, के अनुसार लिखित संविधान तैयार किया गया।

भागवत ने कहा, "लेकिन उस समय, उस विज़न की भावना के अनुरुप संविधान नहीं चलाया गया।"

उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा दिवस "प्रतिष्ठा द्वादशी" को भारत की "वास्तविक, सच्ची स्वतंत्रता" के रुप में मनाया जाना चाहिये, जिसने सदियों तक शत्रु के आक्रमणों का सामना किया था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने भागवत पर प्रहार करते हुये कहा कि आरएसएस में यह साहस है कि वे हर दो-तीन दिन में राष्ट्र को सूचित करें कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में उनके क्या विचार हैं।

"जो कुछ उन्होंने कहा, वह देशद्रोह है क्योंकि उनका कथन बता रहा है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध थी, तथा उनमें, यह सब सार्वजनिक रुप से कहने का साहस है। अन्य किसी देश में वे गिरफ्तार कर लिये गए होते तथा उन पर मुकदमा चलता। यह एक वास्तविकता है।"

नये एआईसीसी मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले बोलते हुये, राहुल ने कहा, "यह कहना कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली, प्रत्येक भारतीय का अपमान है। यह समय है, हमें ऐसी बकवास सुनना बंद कर देना चाहिये, जो ये लोग सोचते हैं और तोते की तरह बोलते रहते हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908